

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक / 1663 / अ-82 / भू-अर्जन / 2022-23 / 2022

कोण्डागांव, दिनांक 15 / 12 / 2022

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	कोण्डागांव	तोतर	02	0.050 हे0	आदनार-तोतर मार्ग के कि0मी0 1/6 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-तोतर की निजी भूमि हेतु

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29/12/2022 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन तोतर पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	आदनार-तोतर मार्ग के कि0मी0 1/6 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-तोतर की निजी भूमि हेतु
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	02
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ 0.050 हेक्टेयर
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ	परियोजना का कुल लागत	1088.81 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	प्रस्तावित सेतु निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने-जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(दीपक सोनी)

कलेक्टर

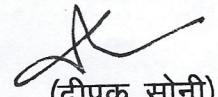
जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक / 4664 / अ-82 / भू-अर्जन / 2022-23 / 2022
प्रतिलिपि:-

कोण्डागांव, दिनांक 15/12/2022

1. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित प्रेषित।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, कांकेर को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को उपलब्ध करावें।
5. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
6. तहसीलदार कोण्डागांव/नायब तहसीलदार-मर्दापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कलेक्टर जिला कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-तोतर, कार्यालय जनपद पंचायत-कोण्डागांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।
7. सचिव ग्राम पंचायत-तोतर, तहसील-कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का ग्राम पंचायत-तोतर के सूचना पटल पर चस्पा व मुनादी करवाकर रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. सामाजिक समाघात अध्ययन दल के समस्त सदस्य..... को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।


(दीपक सोनी)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय राजस्व निरीक्षक-गोलावण्ड तहसील व जिला-कोण्डागांव

क्रमांक/14/सं.निं/2022

गोलावण्ड, दिनांक-22/03/22

प्रति,

तहसीलदार
कोण्डागांव।

विषय :- आदनार से तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 अंवरडीह नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य वावर।

संदर्भ :- आपका आदेश क्रमांक/82/तह.रीडर/2022 कोण्डागांव दिनांक-10/01/2022।

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार आदनार से तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 अंवरडीह नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पट्टाच मार्ग में प्रभावित होने वाले कुषकों एवं उनकी भूमियों का सर्वेक्षण कार्य दिनांक-11/03/2022 को गाठित दल द्वारा ग्राम आदनार तथा तोतर मौके में उपस्थित होकर ग्रामी की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्य किया गया। उच्च स्तरीय पुल एवं पट्टाच मार्ग में कुल-02 कुषकों (भूमिस्वामियों) की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। मौके में प्रभावित कुषक भी उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्य किया गया है। दोनों प्रभावित कुषक पट्टाच मार्ग हेतु भूमि देने हेतु सहमत हैं। प्रभावित कुषकों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्रभावित कुषकों का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा (हे.मै)	भूमि का प्रकार	दस्तावेज अन्य सूचां. निमाता
01.	सुकमन, सुकधर, रूपधर रूपसाय पि.सं. गडरु मुखिया सांवेह	मुखिया	2/9	0.405	0.025	शकफसली असिंचित	निरंक
02	समदू, चमरु पि.सं. गंगा मुखिया बिरा गंगा मुखिया सांवेह	मुखिया	89/6	0.182	0.025	शकफसली असिंचित	निरंक
-	योग- 02	-	02	0.587	0.050	-	-

सम्प्रेषित है।

संलग्न :- ① पंचनामा,

② प्रभावित स्थल का नक्शा-5 प्रति,

③ प्रभावित कुषकों का नाम

1/2/22
22/03/22
गोलावण्ड